यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड(लो.नि.वि.),बड़कोट** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड(लो.नि.वि.),बड़कोट** के माह **जून 2019 से सितम्बर 2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पंकज कुमार,वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06.11.2020 से 18.11.2020 तक श्री एस. के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(i) **परिचयात्मकः**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा माह 11/2015 से माह 05/2019 तक की लेखापरीक्षा श्री अक्षय कुमार,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अंकित पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा श्री रणवीर सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 28/06/2019 से 05/07/2019 तक की गयी थी।

(ii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड(लो.नि.वि.),बड़कोटद्वारा रा०रा०सा० 94(134), एवं 123(507) मे सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण का कार्य तथा चार धाम परियोजना के अंतर्गत कार्य संपादित किया जाता है।

बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (-) बचत (+)	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2017-18	2059, 3054, 5054	397.12	374.65	326.50	326.46	22.47 (समर्पण)	0.04 (समर्पण)
2018-19		411.91	404.58	337.23	336.76	7.33 (समर्पण)	0.47 (समर्पण)
2019-20		28.28	27.32	311.23	311.03	0.96 (समर्पण)	0.20 (समर्पण)
2020-21 (10/2020 तक)		26.80	14.70	200.70	153.04	12.10 (अवशेष)	47.66 (अवशेष)

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

↓

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

↓

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

↓

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

↓

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (लो.नि.वि.),बड़कोट

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (लो.नि.वि.),बड़कोट को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग,बड़कोट की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखापरीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **जुलाई 2020** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में 15/06/2020 को निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 06/2019 एवं माह 09/2018 में की गयी थी।

4. **फार्म 51:**

   भाग प्रथम: ₹10,91,185/-

   भाग द्वितीय: ₹23,65,151/-

5. खण्ड के माह 09/2020 के उचन्त लेखों के अवशेष

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम: ₹ 39,77,275/-

   (ख) सामग्री क्रय: ₹ शून्य

   (ग) नगद परिशोधन: ₹ शून्य

   (घ) निक्षेप: ₹ 26,37,088/-

   (ङ) भण्डार: ₹ 35,66,896/-

भाग –II (ब)

प्रस्तर:1- कार्य में देरी के लिए अनुबंध की शर्तो के अनुसार ठेकेदारो पर ` 1.18 करोड़ का अर्थदण्ड (liquidated damages) अधिरोपित/वसूल न किया जाना।

Para 49.1 (G.C.C) of the Agreements के अनुसार "The Contractor shall pay liquidated damages of the Employer at the rate per day stated in the Contract Data for each day that the Completion Date is later than the Intended Completion Date (for the whole of the works or the milestone as stated in the contract data). The total amount of Liquidated damages shall not exceed the amount defined in the Contract Data. The Employer may deduct LD from payments due the contractor. Payment of LD does not affect the contractor's liabilities".

Para no. 28 of Contract Data:- the liquidated damage for whole of the work are (1/2000)th of the initial contract price rounded off to the nearest thousand per day. The Maximum amount of liquidated damage for the whole of the works is 10% of the initial Contract Price.

कार्यालय अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, बड़कोट के अनुबंधो से संबन्धित अभिलेखो की जांच (11/2020) मे पाया गया कि अनुबंध संख्या: 12/SE-NH-10/2018-19 दिनांक: 03.10.2018 कार्य Strengthening from Km 101.00 to 107 NH-123(507) in state of Uttarakhand under AP 2015-16 job No. NH-123(507) U-R-2017-18-534 हेतु M/s Atcon India Limited/413, Sector 16A, Faridabad, Haryana के साथ अनुबंध किया गया था। अनुबंध धनराशि ₹ 118961823.85 का था तथा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 02.10.2019 थी जोकि निर्धारित तिथि के 212 दिन के बाद भी पूर्ण नही किया गया था। कार्य पूर्ण करने मे हुई देरी के लिए अनुबंध के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार अधिकतम 10% के अनुसार ठेकेदार से रु 11896182/- का अर्थदण्ड (Liquidated damages) अधिरोपित/ वसूल किया जाना चाहिए था किन्तु कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक कोई अर्थदण्ड आरोपित/वसूल नही किया गया था।
लेखापरीक्षा मे इंगित करने पर खंड ने उत्तर मे बताया कि नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग –II (ब)

प्रस्तर: 2- लंबित दायित्व, धनराशि ₹ 3.47 करोड़।

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि धनराशि कि उपलब्धता के उपरांत ही कार्य का निष्पादन कराया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट के अभिलेखों कि जांच में संज्ञान में आया कि खण्ड के अंतर्गत ओ.आर. एवं एफ.डी.आर. के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग बड़कोट पर लंबित देयकों की सूची निम्नवत थी:

क्र.सं.	विवरण	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कार्यों की सं.	लंबित दायित्यों की धनराशि (₹ लाख में)
1.	ओ.आर.	94/134	07	13.90
2.	ओ.आर.	123/507	08	43.37
3.	एफ.डी.आर.	94/134	23	83.11
4.	एफ.डी.आर.	123/507	49	244.60
			योग -	**384.98**

जांच में यह भी ज्ञात हुआ कि खण्ड द्वारा एफ.डी.आर. के अंतर्गत लंबित दायित्वों के सापेक्ष आबंटित धनराशि ₹ 38.00 लाख का पूर्ण भुगतान संबंधितों को कर दिया गया था जिसके फलस्वरूप लेखापरीक्षा तिथि (नवम्बर 2020) तक एफ.डी.आर. के अंतर्गत लंबित दायित्व ₹ 289.71 लाख (₹327.71 लाख – ₹38.00 लाख) था। इस प्रकार संप्रेक्षा तिथि (नवम्बर 2020) तक कुल ₹ 3.47 करोड़ के दायित्व लंबित थे।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि समय-समय पर दायित्वों के समायोजन हेतु धनराशि की मांग की जाती रही है।

उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि धनाभाव में कार्यों का निष्पादन अनुमन्य नहीं है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरका विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1	76/2015-16	1	1,2	शून्य
2	29/2019-20	1	1,2	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा बताया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी की संस्तुति के साथ यथाशीघ्र प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड(लो.नि.वि.),बड़कोट**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
--शून्य--

2. सतत् अनियमितताएः शून्य

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
i.	**श्री नवनीत पाण्डेय**	**अधिशासी अभियंता**	**विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक**

4. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
i.	**श्री शक्ति सुमन**	**खंडीय लेखाधिकारी**	**विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड(लो.नि.वि.),बड़कोट** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार, ए.एम.जी.-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095** को प्रेषित किया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी-II (Non-PSUs)